



संख्या: 805 / मा०सं०(04) / उ०नि०लि० / 2009-43-मा०सं० (04) / 2008

**उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिंग  
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001**

दिनांक 26 मई, 2009

**कार्यालय ज्ञाप**

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिंग के दिनांक 01.01.2006 से वेतनमान एवं भत्ते पुनरीक्षण किये जाने विषयक आदेश संख्या 320 / मा०सं० (04) / उ०नि०लि० / 2009-43-मा०सं० (04) / 2008 दिनांक 28.02.2009 के प्रस्तर-20 द्वारा भुगतान एवं अवशेष भुगतान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2009 एवं उसके पश्चात सेवा निवृत्त हो रहे कार्मिकों के सम्बन्ध में सेवा निवृत्ति पर देय उपार्जित अवकाश नकदीकरण का पुनरीक्षित दर से नकद भुगतान अनुमन्य कराया जायेगा।

1. दिनांक 01.04.2009 एवं उसके पश्चात सेवा निवृत्त हो रहे कार्मिकों के सम्बन्ध में सेवा निवृत्ति पर देय उपार्जित अवकाश नकदीकरण का पुनरीक्षित दर से नकद भुगतान अनुमन्य कराया जायेगा।
2. ऐसे कार्मिक जिनके सेवा निवृत्ति के 06 माह पूर्व से सामान्य भविष्य निधि के खाते में अभिदान बन्द हो गया है उनके सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2009 से 31.07.2009 तक की अवधि के देय पुनरीक्षित वेतन का भुगतान सामान्य भविष्य निधि खाते का परिचालन बन्द हो जाने/अभिदान बन्द हो जाने के फलस्वरूप नकद आहरण एवं भुगतान अनुमन्य कराया जायेगा।
3. दिनांक 01.04.2009 एवं उसके पश्चात सेवा निवृत्त कार्मिकों को दिनांक 01.01.2006 से 31.03.2009 तक के अवशेषों का भुगतान उनका सामान्य भविष्य निधि खाता बन्द हो जाने अथवा उसका अन्तिम भुगतान हो जाने की स्थिति में सेवा निवृत्त कार्मिकों की अनुरूपता में देय सम्बन्धित वित्तीय वर्षों के (सन्दर्भ प्रस्तर-20 (3) आदेश संख्या 320, दिन 28.02.2009) माह अक्टूबर में सामान्य भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरित न करते हुये नकद भुगतान अनुमन्य कराया जायेगा।

**अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक**

संख्या : 805(1) मा०सं० (04) / उ०नि०लि० / 2009-43-मा०सं० (04) / 2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रेषित :-

1. मा० ऊर्जा मंत्रीजी, उ०प्र० के निजी सचिव।
2. सचिव, उ०प्र० शासन, ऊर्जा विभाग बापू भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिंग शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिंग, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिंग शक्ति भवन लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिंग।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिंग शक्ति भवन लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिंग।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिकारी अभियन्ता, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिंग।
10. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिंग।
11. लेखाधिकारी, वेतन एवं लेखा, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिंग शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. समस्त अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिंग (मुच्यालय) शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण), कक्ष संख्या 906, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिंग की वेबसाइट [www.uprvnul.org](http://www.uprvnul.org) पर अपलोड करने हेतु।
14. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिंग, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से

(एस०के० संक्षेपमा०)  
महाप्रबन्धक (मा०सं०)